रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082022-238489 CG-DL-E-31082022-238489

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 597] No. 597] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 31, 2022/भाद्र 9, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 31, 2022/BHADRA 9, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली. 31 अगस्त. 2022

सं. 46/2022-सीमाशुल्क

सा.का.िन. 676(अ).—वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनिहत में आवश्यक है, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा तक संशोधन करती है, यथा: -

सारणी

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या तथा तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
	2021, सा.का.नि. 733 (अ), दिनांक 13 अक्टूबर, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के	उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 में, अंक, अक्षर और शब्द "30 सितंबर, 2022" के स्थान पर, अंक, अक्षर और शब्द "31 मार्च, 2023" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

5862 GI/2022 (1)

2021, सा.का.नि. 734 (अ), दिनांक 13 अक्षर "बशर्ते कि इस अधिसूचन	ा में निहित कुछ भी
अनुस्तर २०२४ ने नुसुर भूगान ने गानुसार अनुस्तर २०२२ ने मुन्ने निर्मा	
अक्टूबर, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, अक्टूबर, 2022 के पहले दिन य	ाा उसके बाद, उपरोक्त
असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सरणी के क्रम संख्या 1, 2 और	3 के खिलाफ निर्दिष्ट
प्रकाशित माल पर लागू नहीं होगा।" को	लोप किया जाएगा।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/227/2022-टीओ(टीआरयू-I)]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

नोट:

- प्रधान अधिसूचना संख्या 48/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 13 अक्टूबर, 2021, को सा.का.िन. 733(अ), 13 अक्टूबर, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 16/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 12 फ़रवरी, 2022, सा.का.िन. 111(अ), दिनांक 12 फ़रवरी, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित, के द्वारा किया गया है।
- 2. प्रधान अधिसूचना संख्या 49/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 13 अक्टूबर, 2021, को सा.का.िन. 734(अ), 13 अक्टूबर, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 44/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 23 जुलाई, 2022, सा.का.िन. 598(अ), दिनांक 23 जुलाई, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित, के द्वारा किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2022

No. 46 /2022-Customs

G.S.R. 676(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with section 124 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby amends the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table below, to the extent specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

S. No.	Notification No. and Date	Amendments
(1)	(2)	(3)
1.	48/2021-Customs, dated the 13 th October, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), <i>vide</i> number G.S.R. 733(E)., dated the 13 th October, 2021	In the said notification, in paragraph 2, for the figures, letters and word "30 th September, 2022", the figures, letters and word "31 st March, 2023" shall be substituted;
2.	October, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part	, , ,

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

_		
	number G.S.R. 734(E)., dated the 13 th	of the Table above on or after the 1st day of
	October, 2021	October, 2022" shall be omitted.
- 1		

[F. No. CBIC-190354/227/2022-TO(TRU-I)]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

Note:

- 1. The principal notification No. 48/2021-Customs, dated the 13th October, 2021, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 733(E), dated the 13th October, 2021, and was last amended *vide* notification No. 16/2022-Customs, dated the 12th February, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), *vide* number G.S.R. 111(E), dated the 12th February, 2022.
- 2. The principal notification No. 49/2021-Customs, dated the 13th October, 2021, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 734(E), dated the 13th October, 2021, and was last amended *vide* notification No. 44/2022-Customs, dated the 23rd July, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), *vide* number G.S.R. 598(E), dated the 23rd July, 2022.